न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 118/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/292)

1. सरिता देवी पत्नि समय सिंह, जाति अहीर, निवासी डूमेडा, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनामे

1. शिशराम पुत्र मंगल, जाति जाट, निवासी कोटकासिम, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
2. मुन्शी पुत्र मंगल, जाति जाट, निवासी कोटकासिम, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।
3. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी, जिला अलवर निर्णय दिनांक 15.03.2023 अपील संख्या 11/68/2021 उनवानी सरिता देवी बनाम शीशराम व अन्य पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कवल सिंह लोहा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 13.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाडी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.03.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 04.07.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 450 दिनांक 28.06.1981 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) ने अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2023 द्वारा अपील खारिज करने के आदेश पारित किये गये।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) के उक्त निर्णय दिनांक 15.03.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट सरिता देवी पत्नी समय सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) का निर्णय दिनांक 15.03.2023 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नं0 1288/2672 वाके ग्राम कोटकासिम, तहसील व जिला अलवर का नामान्तकरण संख्या 450 दिनांक 28.06.1981 को मुताबिक सनद पट्टा अलोटमेन्ट दिनांक 30.10.1977 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के आदेश अनुसार गैर खातेदारी में दर्ज किया गया, जो इन्तकाल मिन अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दर्ज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया। उक्त इन्तकाल के सम्बन्ध में मिन अपीलान्ट को जानकारी होने पर तहत न्यायालय में नकल लेकर अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें मिन अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट को कभी सनद पट्टा विवादित आराजी का प्राप्त ही नही हुआ और फर्जी पट्टे के आधार पर इन्तकाल की कार्यवाही की गई है। जिसके सम्बन्ध में मिन अपीलान्ट द्वारा प्रदर्श 1 लगायत 6 तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विद्वान तहत् न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट का दफा 5 का प्रार्थना पत्र व 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तत्पश्चात् मैरिट पर विद्वान तहत् न्यायालय द्वारा मिन

अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई। तहत् न्यायालय ने अपना निर्णय फर्जी सनद पट्टे व अलोटमेन्ट पर बेजा विश्वास करके पारित किया है। तहत् न्यायालय ने सनद पट्टे के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की कोई जांच नही की और ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा तहत न्यायालय में सनद पट्टे की नकल प्रस्तुत की। मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे जारी किये गये सनद पट्टे की नकल का आवेदन जिला अभिलेख अधिकारी अलवर के न्यायालय मे नकल हेतु प्रस्तुत किया। जिस नकल पर कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई के प्रार्थी द्वारा चाही गई नकल रिकार्ड में काफी तलाश करने के उपरान्त भी पत्रावली नही मिली है। अत प्रार्थी को नकल दिया जाना उचित नही है। ठीक इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबारा, के यहा भी उक्त सनद पट्टा के सम्बन्ध में नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें यह अंकित किया गया कि चाही गई नकल से सम्बन्धित रिकार्ड जिला अभिलेखाकार में बस्ता नं0 10 दिनांक 01.06.1994 को जमा करा दिया गया है। लेकिन जिला अभिलेखाकार में उक्त नकल प्राप्त नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी का अलोटमेन्ट नहीं हुआ था। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत् न्यायालय में प्रदर्श 1 लगायत 6 प्रस्तुत किये लेकिन किसी भी दस्तावेज का विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया। मिन अपीलान्ट द्वारा खसरा नं0 1288/2672 रकबा 0.18 एयर के समीप खसरा नं0 1285/4 रकबा 17 बिस्वा दिनांक 11.07.2016 को क्रय की गयी है। रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि का कोई आवंटन नही हुआ। ना उसका मौके पर कब्जा है। रेस्पोडेन्ट गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट उसकी भूमि में आने जाने का रास्ता बाधित कर रहा है। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा बिना जांच किये ही दिनांक 28.06.1981 को इन्तकाल कैम्प कोटकासिम दर्ज व तस्दीक किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाडी के निर्णय दिनांक 15.03.2023 की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही थी। क्योकि मिन अपीलान्ट के अभिभाषक श्री दिनेश यादव ने कह रखा था कि जब कभी आवश्यकता पडेगी बुला लेगे। मिन अपीलान्ट को काफी समय तक वकील साहब का संदेश उक्त अपील के सम्बन्ध में नही आने पर मिन अपीलान्ट दिनांक 11.04.2023 को वकील साहब से मिलने गयी तो वकील साहब ने बताया कि मिन अपीलान्ट की अपील का निर्णय दिनांक 15.03.2023 को हो गया है। जिसकी नकल के लिए मिन अपीलान्ट ने दिनांक 12.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो नकल दिनांक 17.05.2023 को प्राप्त हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने वकील साहिबान से सलाह मशोहरा किया। जिन्होने अपील दायर करने की सलाह दी। जिस पर आज बिना किसी देरी के अपील न्यायालय जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। मिन अपीलान्ट ने अपील पेश करने में जान बूझकर देरी नही की है, बल्कि मजबूरी में नेकनियती पर आधारित जो काबिल माफी है। प्रकरण के तथ्यों एव गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाडी, अलवर दिनांक 15.03.2023 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया। उन्होंने अपील के संबध में निवेदन किया कि खसरा नंबर 1288/2672 रकबा 0.18 बिस्वा स्थित ग्राम कोटकासिम वक्त आवंटन वर्ष 1977 में भूमि की किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी तथा बंदोबस्त सम्वत् 2029 में भूमि की किस्म सिवायचक बंजड थी, जिसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा शीशराम, मुंशी पुत्र मंगलराम जाट के दिव्यांग सैनिक होने पर आंवटन की गई थी। नामान्तकरण संख्या 450 गैर खातेदारी तहसीलदार कोटकासिम द्वारा दिनांक 28.06.1981 को कैम्प कोटकासिम में दर्ज होकर स्वीकार किया गया। सम्वत् 2035 में आराजी रेस्पो0 के नाम गैर खातेदारी दर्ज रही है। उपरोक्त आराजी बाबत दावा दखलयाबी अन्तर्गत धारा 183 आरटीए 1955 उनवान शीशराम वगै0 बनाम फुलसिंह वगै0 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा दिनांक 23.08.2012 के वादीगण के पक्ष में आदेश पारित किये गये। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 जाब्ता दिवानी उनवान अर्जुन वगै0 बनाम मुंशीराम वगै0 में प्रतिवादीगण के पक्ष में आदेश पारित किये गये। राजस्व कर्मियों द्वारा

अतिरिक्त संभाग आयुक्त

दिनांक 03.06.2011 को मौके पर पत्थरगढी कर रेस्पो0 का कब्जा होना दर्शित है। खसरा नं. 1288 के सामने से एक रास्त गुजर रहा है। उस रास्ते का खसरा नं. 1690 गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दोनों खसरा नम्बरों की डोल एक ही है। अपीलान्ट ने मिथ्या व मनगढंत कहानी बनाकर अपील पेश की है जो सरासर गलत है। खसरा नंबर हाल 1284, 1285, 1288 अपीलांट व अन्य लोगों ने मकान बना रखे हैं। अपीलान्ट द्वारा 1285/4 को दिनांक 11.07.2016 को क्रय किया। खरीद शुदा आराजी पर कब्जा नहीं है तथा उपरोक्त खसरा नं. 1288/2672 से कोई सरोकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 11.04.2023 को होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक से प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से तथा दौराने बहस किये गये कथनों से जाहिर होता है कि प्रश्नगत आराजी का आवंटन वर्ष 1970 में हुआ है तथा आज दिनांक तक प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है। यह गंभीर विषय है कि वर्ष 1970 के आवंटन के संबंध में आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु के संबंध में जॉच/विवेचन पश्चात् कि ऐसे क्या कारण रहे हैं, जिनकी वजह से वादग्रस्त भूमि अभी तक गैर खातेदारी में दर्ज है तथा प्रकरण में आज दिनांक तक खातेदारी प्रदान करने अथवा भू–आवंटन नियम की धारा 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, जिला अलवर दिनांक 15.03.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी का आवंटन वर्ष 1970 में हुआ है तथा आज दिनांक तक प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज है। यह गंभीर विषय है कि वर्ष 1970 के आवंटन के संबंध में आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं तथा उक्त बिन्दु के संबंध में जॉच/विवेचन पश्चात् भी ऐसे क्या कारण रहे हैं, जिनकी वजह से वादग्रस्त भूमि अभी तक गैर खातेदारी में दर्ज है तथा प्रकरण में आज दिनांक तक खातेदारी प्रदान करने अथवा भू–आवंटन नियम की धारा 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 13.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर